# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1211/2012/झुंझुनूं.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, झुंझुनूं. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स चौधरी स्टोन क्रेशर, मोडापहाड़, झुंझुनूं. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/04/2017

## निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, झुंझुनूं (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 323/आरवैट/झूंझनू/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.01.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी स्टोन क्रेशर का व्यवसाय करता है। आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा पत्थर से गिट्टी व स्टोन डस्ट/बजरी का निर्माण कर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत स्टोन डस्ट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए करारोपण किया गया, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त माल को बजरी बताते हुए इस पर रूपये 6/– प्रति टन की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23, 24 के तहत दिनांक 23.11.2010 को पारित करते हुए अन्तर कर रूपये 1,44,591/– एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा स्टोन डस्ट का विक्रय किया गया है, जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा

लगातार.....2

रूपये 6/– प्रति टन की दर से कर वसूल किया गया है। इस प्रकार कम दर से कर वसूल किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अतिरिक्त कर एवं ब्याज पूर्णतया विधिसम्मत हैं। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्थर से ग्रिट एवं बजरी का निर्माण कर विक्रय किया जाता है, जिसका उपयोग मकानों के निर्माण/चिनाई में किया जाता है जिस पर रूपये 6/– प्रति टन की दर से ही करदेयता बनती है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी को विशिष्ठ नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12.02.2014 पारित कर दिया गया है, जिसकी प्रति कर बोर्ड के स्तर पर कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त की जाकर पत्रावली में संलग्न की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रतिप्रेषित अपीलीय आदेश की पालना हो जाने से अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील निष्प्रभावी (infructuous) हो जाती है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील निष्प्रभावी हो जाने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

( खेमराज )
अध्यक्ष